राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (रायबरेली से जौनपुर) एवं 232 (अम्बेडकर नगर से बांदा) के उन्नयन तथा पुनर्वास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए दिनांक 31.01.2012 को विकासखण्ड कार्यालय, गौरीगंज जनपद–छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (रायबरेली से जौनपुर) एवं 232 (अम्बेडकर नगर से बांदा) के उन्नयन तथा पुनर्वास हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना **एन0एच0 231** रायबरेली के किमी0 0.000 (दरियापुर) से प्रारम्भ होकर जौनपुर के किमी0 169.600 पर समाप्त होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 169.600 किमी0 है। परियोजना की कुल लागत 595.00 करोड़ है। इसमें जनपद **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** के अन्तर्गत किमी0 15.000 से किमी0 44.000 तक का भाग पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह परियोजना **एन0एच0 232** में अम्बेडकरनगर के टांडा पर किमी0 0.000 से प्रारम्भ होकर बांदा के किमी0 289.600 पर समाप्त होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 289.600 किमी0 है। परियोजना की कुल लागत 1459.30 करोड़ है। इसमें जनपद **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** के अन्तर्गत किमी0 78.000 से किमी0 135.000 तक का भाग पड़ता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09. 2006 के अनुपालन में परियोजना के निस्तारण से पूर्व लोक सुनवाई किया जाना अनिवार्य है जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** द्वारा लोक सुनवाई हेतु मुख्य विकास अधिकारी, **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** को नामित करते हुए लोक सुनवाई सम्पन्न कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्र **''हिन्दुस्तान** में दि0 30.12.2011'' (लखनऊ संस्करण) में लोक सुनवाई की तिथि 31.01.2012 समय अपरान्ह 03:00 बजे स्थान **विकासखण्ड कार्यालय, गौरीगंज जनपद– छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** में आयोजित किए जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। इसी क्रम में निर्धारित तिथि 31.01.2012 को अपरान्ह 03:00 बजे निर्धारित स्थान पर श्री जगतराज, मुख्य विकास अधिकारी, **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** की अध्यक्षता एवं श्री आशुतोष गौतम, महाप्रबंधक, भा.रा.रा.प्रा. रायबरेली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्रतिनिधि श्री बी0के0 अस्थाना, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री डी0पी0 तिवारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुल्तानपुर/सी.एस.एम. नगर की उपस्थिति में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। बैठक का उपस्थिति विवरण संलग्न है। लोक सुनवाई का कार्यवृत्त निम्नवत है:–

लोक सुनवाई प्रारम्भ करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली के प्रबंधक (तक0) श्री बी0पी0 पाठक द्वारा बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर, श्री आशुतोष गौतम, महाप्रबंधक, भा.रा.रा.प्रा. रायबरेली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। इस क्रम में सहायक पर्यावरण अभियन्ता, कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा लोक सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य समस्तजनों से परियोजना के संबंध में अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियॉं/सुझाव मौखिक अथवा लिखित रुप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में राजमार्ग की सलाहकार संस्था मेसर्स मॉट मैक डोनाल्ड के समन्वयक श्री परितोष सिंह द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे परियोजना का विवरण, परियोजना की पृष्ठभूमि, परियोजना का मानचित्र, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना की आवश्यकता, प्रस्तावित मार्ग पर यातायात की पूर्वानुमानित मांग, प्रस्तावित परियोजना का यातायात सर्वे, टिपिकल क्रास सेक्सन, प्रस्तावित मार्ग में प्रस्तावित सुधार, भू–अर्जन एवं वृक्षों का पातन का पूर्ण विवरण, पृष्ठ जल गुणवत्ता, भूमिगत जल गुणवत्ता, परिवेशीय वायु गुणवत्ता, अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता, परिवेशीय ध्वनि के स्तर, तथा इनकी मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया

गया। साथ ही साथ पर्यावरण संचालन एवं प्रबंधन लागत, परियोजना प्रभाव एवं न्यूनीकरण उपाय के संबंध में भी चर्चा की गयी। तद्पश्चात बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं सामान्यजनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियां/ सुझाव प्रस्तुत किए, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. श्री संतोष कुमार, निवासी पूरे नरायन मझवारा, गौरीगंज, सी.एस.एम. नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि प्रायः देखा जाता है कि सड़क के निर्माण के समय अत्यधिक धूल उड़ती है जिसको समाप्त करने के लिए कड़ाई से नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसके लिए आप इनको कैसे नियन्त्रित करेंगे ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण के दौरान धूल दमन हेतु निरंतर पानी के छिड़काव का प्राविधान किया जाता है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

2. श्री श्रवण कुमार सिंह निवासी माधोपुर, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि गौरीगंज एवं जायस में बाईपास सड़क किस ओर से निकाली जाएगी ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के गौरीगंज एवं जायस में बाईपास को मार्ग के संरेखण (**Alignment**) के अनुसार निकाला जाएगा, जैसा कि प्रस्तुतिकरण में दर्शाया जा चुका है।

3. श्री प्रशान्त सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नेपुआ, विशुनदासपुर, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा, यह कुल कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगी ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क का निर्माण आगामी कुछ माह के उपरान्त प्रारम्भ होने की आशा है। जिसको पूरा होने में तदोपरान्त 2 से 3 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

4. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम, पोस्ट बरान्नाटीकर, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि सड़क परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि का अर्जन किया जाएगा ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जैसाकि परियोजना के प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया जा चुका है कि मुख्यतः बाईपास हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 231 में लगभग 121 हेक्टेयर तथा 232 में 350 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

5. श्री उदय सिंह निवासी ग्रा0/पो0 बरनातीकर गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि प्रस्तुत परियोजना मार्ग में आने वाले जायस, गौरीगंज एवं सलोन में सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी सड़क की चौड़ाई ट्रेफिक के घनत्व (पी.सी.यू.) के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान में जायस, गौरीगंज व सलोन में मार्ग के बाईपास की चौड़ाई 60.00 मीटर का प्राविधान किया गया है।

6. श्री कमल सिंह निवासी फुरसतगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि इस परियोजना में कुल कितने पेड़ काटे जाएंगे ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के प्रस्तुतिकरण में मार्ग निर्माण हेतु काटे जाने वाले पेड़ों का विवरण दर्शाया जा चुका है।

7. श्री महेन्द्र कुमार निवासी गौरीगंज द्वारा यह जानकारी चाही गई कि क्या साइकिल सवार, बैलगाड़ी आदि के लिए सड़क पर कोई निर्धारित स्थान होगा ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग में साईकिल सवार अथवा बैलगाड़ी आदि के लिए पृथक से कोई स्थान निर्धारित नहीं है अपितु इसी मार्ग के पेव्ड शोल्डर का प्रयोग साईकिल सवार एवं बैलगाड़ी द्वारा किया जा सकता है।

8. श्री सुनील कुमार निवासी भटगवॉ, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि चौड़ीकरण के समय मार्ग में आने वाले मकानों, दुकानों इत्यादि को कैसे हटाएंगे क्या इसमें मुआवजा का भी कोई प्राविधान है ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग निर्माण में आने वाले मकानों व दुकानों को यदि तोड़ा जाता है तो अतिक्रमणों को छोड़कर शेष भवनों को निर्धारित सर्किल रेट व निर्धारित दरों के अनुसार मुआवजा देते हुए हटाए जाने का प्राविधान निर्धारित है।

9. श्री विकास जायसवाल निवासी कस्बा गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि क्या कस्बा गौरीगंज से होकर गुजरने वाली सड़क के चौड़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव आया है यदि आया है तो सड़क के मध्य भाग से कितनी दूरी ली जाएगी एवं उनके द्वारा यह भी पूछा गया कि गौरीगंज में शासन द्वारा जो बाईपास का निर्धारण है उसकी कुल कितनी दूरी ली जाएगी और यह बाईपास कहां से कहां तक होगा ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि कस्बा गौरीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत 5.50 किमी0 लम्बाई में बाईपास का प्राविधान किया गया है जिसका विवरण परियोजना के प्रस्तुतिकरण में बताया जा चुका है।

10. श्री धर्मेन्द्र चौरसिया निवासी माधौपुर गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि क्या कस्बा गौरीगंज से होकर गुजरने वाली सड़क के चौड़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव आया है यदि आया है तो सड़क के मध्य भाग से कितनी दूरी ली जाएगी ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रश्न का उत्तर पूर्व में दिया जा चुका है।

11. श्री शीतला प्रसाद मिश्र निवासी कटरा लालगंज गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर द्वारा निम्न जानकारियॉ चाही गईं (1) रायबरेली–सुल्तानपुर रोड पर सड़क के मध्य बिन्दु से चौड़ाई कितनी निर्धारित है। (2) क्या वर्तमान समय में आवश्यक भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध है यदि नही तो अधिग्रहण कैसे होगा, (3) प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु किस दर से भूमि प्रतिकर देय होगा, (4) सड़क के किनारे मौजूद बाजारों यथा–गौरीगंज में सड़क के चौड़ीकरण हेतु क्या सड़क के किनारे बनी दुकानों या भवनों को तोड़ा जाएगा, (5) क्या कस्बा गौरीगंज से होकर गुजरने वाली रोड के फोरलेन के रूप में चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव किया गया है यदि हां तो मध्य सड़क से कितनी भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है, (6) क्या बाईपास निकालने/बनाने में कोई वैधानिक दिक्कत है एवं (7) निर्माण के दौरान जल, धूल, ध्वनि एवं अन्य प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जैसाकि पूर्व प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है कि इस परियोजना के अन्तर्गत दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित निर्माण किया जाना है जिसमें लेपित सतह की कुल चौड़ाई 10.00 मी0 प्राविधानित है। भू–अधिग्रहण आवश्यकतानुसार चयनित स्थान पर एन0एच0 एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। कस्बा गौरीगंज में बाईपास का प्रस्ताव इस परियोजना में सम्मिलित किया गया है तदानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत कस्बा गौरीगंज के अन्दर मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव इस परियोजना में सम्मिलित नहीं है। परियोजना कियान्वयन में जल, धूल एवं ध्वनि से उत्पन्न होने वाले प्रदूषणों पर नियंत्रण मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रगण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा सम्पन्न हुई लोक सुनवाई को सफल मानते हुए स्थानीय गणमान्य नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/सुझावों के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिए गये उत्तर पर संतोष व्यक्त किया।

मुख्य विकास अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर द्वारा प्रस्तावित परियोजना को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया तथा इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा, क्षेत्र में खुशहाली आएगी तथा की जाने वाली यात्राओं की समयावधि में कमी होगी एवं यात्रा सुखद एवं सुरक्षित होगी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के संबंध में भा.रा.रा.प्रा. के अधिकारियों द्वारा दिये गये संतोषजनक उत्तरों की सराहना की गयी। साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया गया कि स्थानीय जनता द्वारा मार्ग के निर्माण के दौरान यदि कोई कठिनाई आती है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में ला सकते हैं। जिसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक करके निराकरण किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक के अन्त में महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाई को सफल मानते हुए लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया गया तथा अवगत कराया गया कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में अन्य कोई कठिनाई या सुझाव देना चाहते हैं तो रायबरेली स्थित कार्यालय में उनका स्वागत है। महाप्रबंधक, भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर व अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार भी व्यक्त किया गया।

उपरोक्त सुझावों, विचारों, टिप्पणियों तथा आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दा लोक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट से अभिव्यक्त है कि प्रस्तावित राजमार्ग के निर्माण से किसी प्रकार की पर्यावरणीय क्षति नहीं होगी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन नहीं होगा।

उपरोक्त लोक सुनवाई में आए सुझाव एवं उनके निराकरण हेतु किए गये समाधान तथा भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में समावेशित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सैद्धान्तिक रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण एवं जन तथा राष्ट्रहित में उक्त प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु लोक सुनवाई समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित राजमार्ग सं0 231 (रायबरेली से जौनपुर) एवं 232 (अम्बेडकरनगर से बांदा) के सुधार एवं निर्माण हेतु प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त होने का अनुमोदन करते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **रायबरेली**	(डी. पी. तिवारी) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, **सुल्तानपुर**	मुख्य विकास अधिकारी, **छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** मुख्य विकास अधिकारी छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

****

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 231 (राय0–जौन0) एवं 232 (अम्बे0–बांदा) के निर्माण हेतु

जनपद–छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर में

पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

दि0: 31.01.2012 स्थान : विकासखण्ड कार्यालय, गौरीगंज समय : अपरान्ह 3.00

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री जगतराज	मुख्य विकास अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर	9454465472	[illegible]
2.	श्री आशुतोष गौतम	महाप्रबन्धक, भा० रा० रा०प्रा०, रायबरेली	9793536111	A Gautam
3.	[illegible]	क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली	9450568544	[illegible]
4.	श्री डी. पी. तिवारी	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सुल्तानपुर	9415502980	[illegible]
5.	बी. पी. पाठक	बी. पी. पाठक, प्रबन्धक (तक०) भा० रा० रा० प्रा०, रायबरेली	9415175738	[illegible]
6.	वीरा ब्रह्मम	परियोजना प्रबन्धक, मार मैक डोनाल्ड प्रा० लि०	7398866368	[illegible]
7. ✓	पारितोष सिंह	मार मैकडोनाल्ड प्र० लि०	9196007517	[illegible]
8. ✓	शीतला प्रसाद मिश्र	नि० ग्राम - कटरालालगंज गौरीगंज CSM नगर	9721552111	[illegible]
9. ✓	अमरचन्द्र अग्रहरी	ग्राम माधौपुर गौरीगंज सी.एस.एम.नगर	7275924054	Amar Cha[illegible]
10.	धर्मेन्द्र चौरसिया	माधौपुर गौरीगंज C.S.M. Nagar	9918707777	D. Chaurasiya
11.	सिंहबहादुर सिंह	ग्रा० पचेहटी, गौरीगंज CSN	9838710960	सिंहबहादुर
12.	पुष्पराज सिंह	ग्रा० कैथी, पुरबगांव CSM नगर	9838331463	पुष्पराज
13.	[illegible]	ग्रा० बरना टीकर	8721447497	[illegible]
14.	महावीर प्रसाद [illegible]	ग्राम [illegible]		महावीर प्र[illegible]
15.	कृष्ण शंकर पाण्डेय	बल्लीपुर [illegible] गौरीगंज		[illegible]
16.	रमाकांत [illegible]	बल्लीपुर [illegible] गौरीगंज		रमाकां[illegible]
17.	प्रशान्त सिंह	[illegible] गौरीगंज	9918095204	[illegible]
18.	श्रवण कुमार सिंह	माधोपुर गौरीगंज	9919154080	Singh

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 231 (राय0–जौन0) एवं 232 (अम्बे0–बांदा) के निर्माण हेतु
जनपद–छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर में
पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
19.	धीरेन्द्र सिंह	बरनाटीकर	780063833	धीरेन्द्र
20.	Uday Singh	Barnatikar	8410672103	Uday
21.	पवन	गौरीगंज		[illegible]
22.	Archana Yadav	Gaurigang		Archana
23.	MataPrasad	Gaurigunj		[illegible]
24.	राजकुमार	गौरीगंज		[illegible]
25.	राघू	[illegible]		[illegible]
26.	इसरार अहमद	[illegible]		[illegible]
27.	M. Aslam	[illegible]		M. Asl
28.	मो० फुरकान	गौरीगंज		मो० [illegible]
29.	मो० मु० असलम	गौरीगंज		md [illegible]
30.	श्री राम	कुलापुर छादे		श्री राम
31.	रामजत	तालबनका पुरवा		रामज
32.	विनोद कुमार	गौरी गंज		विनोद कुमार
33.	Pawan Tiwari	Gaurigan J.	9696692895	Pawan
34.	लवकुश कुमार	अयोध्या	8601217228	LAVKUSH
35.	विनोद कुमार	अयोध्या	7721539468	विनोद कुमार
36.	अरविन्द दुबे	गौरीगंज	9415373142	[illegible]
37.	कमलसिंह	फुरसतगंज	6004317968	[illegible]
38.	संतोष कुमार	चौक गौरीगंज	9052709149	Santosh

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 231 (राय0–जौन0) एवं 232 (अम्बे0–बांदा) के निर्माण हेतु
जनपद–छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर में
पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

क्रमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
39.	शिवकुमार	पण्डे मापुरवा		
40.	जीतलाल	कटरा लाल गंज		[signature]
41.	सूर्या तिवारी पत्रकार आज	गौरीगंज सी एम एम	9451369122 9919494903	[signature]
42.	[illegible] तिवारी	पुरे [illegible]		[signature]
43.	बद्रीप्रसाद			
44.	शिव कुमार	कटरा लालगंज गौरीगंज	9450606039	[signature]
45.	[illegible]	[illegible] गौरीगंज	9796562836	[signature]
46.	राजेन्द्र प्रसाद [illegible]	[illegible] बेहटा - दरपीपुर	9919613057	[signature]
47.	K MISHRA	Block [illegible] office		[signature]
48.	A Pandey	vill - Kathaura UMJ	9670452275	[signature]
49.	राम [illegible] तिवारी	[illegible]	9565539578	[signature]
50.	प्रदीप यादव	बिशुनदासपुर	[illegible]119174	[signature]
51.	[illegible]	गौरीगंज प्राप्त		[signature]
52.	Adarsh mishra	गौरीगंज [illegible]	945493112.	[signature]
53.	Dr. Awdhesh Singh	New Bus Stop	9919117473	[signature]
54.	Vimal Bajpai	Kurha		[signature]
55.	Kamlesh Kum	Sambhaura	7800019699	[signature]
56.	Chandra Shekhar	Gauri Ganj		[signature]
57.	पवन [illegible] सिंह			[signature]
58.	R.K. MAURYA			[signature]